न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या –33/2022

दायर दिनांक –02.05.2022

निर्णय दिनांक – 16.12.2022

जीसीएमएस नं0 – 2022/86

प्रार्थी — **बनाम** — **अप्रार्थीगण**

प्रार्थी

1. श्री बालमुकंद पुत्र किस्तुरा जाति रेगर निवासी ग्राम डूंगरियाखुर्द तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्रीमती जमना पत्नी स्व. श्यामलाल जाति रेगर निवासी डूंगरियाखुर्द तहसील पुष्कर जिला अजमेर हाल निवासी ठक्कर बप्पा कॉलोनी, राजा मिलिंद सोसायटी, एस.जी. बर्वे मार्ग, बुद्धा टेम्पल के पास, चैम्बुर, मुंबई, महाराष्ट्र।
2. श्री गोविंद पुत्र स्व. श्यामलाल जाति रेगर निवासी डूंगरियाखुर्द तहसील पुष्कर जिला अजमेर हाल निवासी ठक्कर बप्पा कॉलोनी, राजा मिलिंद सोसायटी, एस.जी.बर्वे मार्ग, बुद्धा टेम्पल के पास, चैम्बुर, मुंबई, महाराष्ट्र।
3. श्री दिलीप पुत्र स्व. श्यामलाल जाति रेगर निवासी डूंगरियाखुर्द तहसील पुष्कर जिला अजमेर हाल निवासी ठक्कर बप्पा कॉलोनी, राजा मिलिंद सोसायटी, एस.जी.बर्वे मार्ग, बुद्धा टेम्पल के पास, चैम्बुर, मुंबई, महाराष्ट्र।
4. श्री विजय पुत्र स्व. श्यामलाल जाति रेगर निवासी डूंगरियाखुर्द तहसील पुष्कर जिला अजमेर हाल निवासी ठक्कर बप्पा कॉलोनी, राजा मिलिंद सोसायटी, एस.जी.बर्वे मार्ग, बुद्धा टेम्पल के पास, चैम्बुर, मुंबई, महाराष्ट्र।
5. श्री गुदडमल पुत्र श्री छीतर जाति रेगर निवासी ग्राम डूंगरियाखुर्द तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
6. राज्य राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)
16.12.22

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.12.21 17:35:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति– 1.श्री फिरोज मोहम्मद, अधिवक्ता, प्रार्थी
2.पैरोकार सरकार तहसीलदार , पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के खातेदारी की कृषि आराजी खसरा नं0 118 रकबा 0.57 हैक्ट0 पर कांश्त के लिये जाने हेतु प्रार्थी के पास वर्तमान में कोई रिकार्डेड रास्ता/मार्ग आदि मौजूद नहीं है। आवागमन व कृषि कार्य करने के लिए उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान हेतु करीबन 30 फीट चौड़ा नया रास्ता चाहने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 17.10.2022 को बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थीगण सं0 01 लगायत 05 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 06 तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया।

इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार पुष्कर द्वारा पत्र क्रमांक/तह. पुष्कर/राजस्व/4003ए दिनांक 12.12.2022 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि " प्रार्थी वर्तमान में अपने खेत पर जाने के लिए पडोसी खातेदार के खेतों में से जाता है। मौके पर कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। बिंदु संख्या 02 के क्रम में प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं हो रहा है। इसके अलावा कोई अन्य नजदीकी विकल्प उपलब्ध नहीं है। मौका जांच के दौरान प्रभावित पक्षकारान को आपसी राजीनामे हेतु जरिये नोटिस दिनांक 12.12.2022 को मौके पर उपस्थित रहने हेतु सूचित किया गया था, परंतु प्रभावित पक्षकार मौके पर उपस्थित नहीं हुए। प्रभावित पक्षकारान द्वारा सहमत नहीं होने की स्थिति में लघुत्तम/निकटतम रास्ता प्रस्तावित कर खसरावार रास्ते के क्षेत्रफल की गणना की गई जो निम्नानुसार है :–

खसरा नं0	रकबा (है0)	खातेदार का विवरण	प्रस्तावित रकबा (वर्गमीटर)	डी.एल.सी दर से दुगुना गणना अनुसार कुल राशि (रूपया)
117	0.50	1. जमना पत्नी श्यामलाल जाति रेगर हि. 1/10 2. गोविंद पुत्र श्यामलाल जाति रेगर हि. 1/10	52 × 9 = 468 वर्गमीटर	मुख्य आबादी से दूर सडक के पास 1,461,951/– रूपये प्रति हैक्टेयर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.12.21 17:35:35 IST
Reason: SelfAttested

16.12.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

		3. दिलीप पुत्र श्यामलाल जाति रेगर हि. 1/10 4. विजय पुत्र श्यामलाल जाति रेगर हि. 1/10 5. गुदडमल पि. छीतर जाति रेगर हि. 2/5 6. धन्ना पुत्र आईदान जाति रेगर हि. 1/5		प्रस्तावित रास्ते की दुगुनी राशि 136,840 रूपये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि यह मार्ग की अत्यांतिक आवश्यकता है तथा यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है साथ ही प्रार्थी की आराजी तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक साधन का अभाव होकर यह निकटतम रास्ता है जिसमें अप्रार्थीगण की कृषि योग्य भूमि का न्यूनतम क्षय कारित होगा। अतः प्रार्थी की कृषि आराजी भूमि के खसरा नंबरान 118 रकबा 0.57 हैक्ट0 के लिए आवागमन हेतु लघुतम/निकटतम मार्ग चौडाई 30 फीट खसरा नम्बर 117 रकबा 0.50 हैक्ट0 में से देना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि आदेशानुसार राशि प्रार्थी से वसूल की जाकर अप्रार्थीगण को वितरण किया जावें एवं राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम करवाई जावें।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि हाल राजस्व ग्राम डूंगरियाखुर्द तहसील पुष्कर की आधार नक्शा ट्रेस/अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में, खसरा नम्बर 117 रकबा 0.50 हैक्ट0 के प्रभावित रकबे को बिलानाम सरकार किस्म गै0मु0रास्ता (चौडाई 30 फीट) दर्ज रिकॉर्ड किया जावें एवं राजस्व नक्शा ट्रेस में आवश्यक तरमीम की जावें (संलग्न नक्शे को निर्णय का भाग समझा जावें)। आदेशानुसार राशि प्रार्थी से वसूल की जाकर अप्रार्थीगण को वितरित की जावें।

खसरा नं0	रकबा (है0)	खातेदार का विवरण	प्रस्तावित रकबा (वर्गमीटर)	डी.एल.सी दर से दुगुना गणना अनुसार कुल राशि (रूपया)
117	0.50	1. जमना पत्नी श्यामलाल जाति रेगर हि. 1/10	52 468 [illegible]	मुख्य आबादी से दूर सडक के पास 1,461,951/– रूपये प्रति

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.12.21 17:35:35 IST
Reason: SelfAttested

16.12.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

		2. गोविंद पुत्र श्यामलाल जाति रेगर हि. 1/10 3. दिलीप पुत्र श्यामलाल जाति रेगर हि. 1/10 4. विजय पुत्र श्यामलाल जाति रेगर हि. 1/10 5. गुदडमल पि. छीतर जाति रेगर हि. 2/5 6. धन्ना पुत्र आईदान जाति रेगर हि. 1/5		हैक्टेयर। प्रस्तावित रास्ते की दुगुनी राशि 136,840 रूपये।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

16.12.22

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.12.21 17:35:35 IST
Reason: SelfAttested

नकल नक्शा ट्रेस
ग्राम डुमाड़ियां खुर्द
तह० पुष्कर
जिला अजमेर
संवत् २०३८-३९

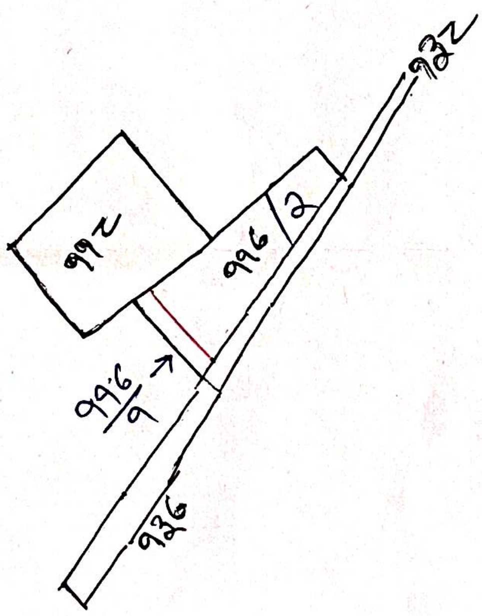

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

तहसीलदार
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.12.21 17:35:35 IST
Reason: SelfAttested